उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या- 147/2018/1840/92-2-2018-10जांच/2017
लखनऊ :: दिनांक:: 26 अक्टूबर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद फिरोजाबाद में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो की महालेखाकार की सम्प्रेक्षा दल द्वारा दिनांक 22-02-2016 से 27-2-2016 तक किये गये आडिट में परिलक्षित रू0 15,62,108.00 का अधिक व्यय करने की अनियमितता के क्रम में अधीक्षण अभियंता के पद के दायित्वों के प्रति सजग न रहने, अपने अधीनस्थ कार्यो व कार्मिको का नियंत्रण न रखने, उच्चाधिकारियों के अधिकारो का अतिक्रमण करने, उ0प्र0 शासन द्वारा परिचालित दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य न करने आदि अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-130/2017/1280/92-2-17-10जांच/2017 दिनांक 26-07-2017 द्वारा श्री रूपेश कुमार वर्मा, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-आगरा को आरोप पत्र देते हुये उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया था। जांच अधिकारी/ मुख्य अभियंता, (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1016/ ग्रा0अ0वि0 /अनु0जांच-आ0लि0-आगरा/17-18 दिनांक 31-01-2018 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या दिनांक 31-01-2018 में अपचारी अधिकारी, श्री रूपेश कुमार वर्मा पर अधिरोपित कुल 03 आरोपों में से आरोप संख्या-1 व 3 पूर्णरूप से स्थापित बताया गया तथा आरोप संख्या-2 आंशिक रूप से स्थापित पाया गया। शासन के पत्र संख्या-302/92-2-18-10जांच/2017 दि0 21-02-2018 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत जांच अधिकारी की जांच आख्या दिनांक 31-01-2018 की प्रति अपचारी अधिकारी, श्री रूपेश कुमार वर्मा को प्रेषित करते हुये उक्त जांच आख्या में सिद्ध पाये गये आरोपों के संबंध में अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 02-07-2018 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। श्री वर्मा पर स्थापित आरोप सं0-1, 2 व 3 निम्नवत है :-

आरोप संख्या-1

कार्यो का आगणन/प्राक्कलन एवं पी0डब्ल्यू0डी0 के शिडयूल दर के अनुसार समस्त कार्यवाही प्राथमिक स्तर पर अवर अभियंता व सहायक अभियंता द्वारा तैयार कर अधिशासी अभियंता /अधीक्षण अभियंता के स्वीकृतार्थ प्रस्तुत किया जाता है। यदि अधिशासी अभियंता द्वारा अनियमित ढंग से प्राक्कलन/दर स्वीकृत किया गया तो प्राक्कलन/दर तैयार कर स्वीकृति करने हेतु प्रस्तुत करने वाले अवर अभियंता/सहायक अभियंता भी उत्तरदायी होगे। इस प्रकार आप अपने पदीय दायित्वों के सुचारू रूप से निर्वहन न करने के उत्तरदायी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आरोप संख्या-2

प्रखण्ड-फिरोजाबाद में महालेखाकार की सम्प्रेक्षा दल द्वारा दिनांक 22-02-2016 से 27-02-2016 तक किये गये आडिट में रू0 15,62,108-00 की धनराशि अधिक व्यय किया जाना पाया गया। यदि उक्त शासकीय क्षति अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-फिरोजाबाद पर प्रमाणित होता है तो शासनादेशों की व्यवस्थानुसार समानुपातिक रूप से क्षति की वसूली अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता से की जानी होगी, परन्तु आपके पत्रांक-353 दिनांक 18-05-2017 द्वारा अवर अभियंता तथा सहायक अभियंता को उत्तरदायी न बताया जाना तथा पत्रांक-1866 दिनांक 28-01-2017, पत्रांक-1857/दिनांक 23-01-2017 एवं पत्रांक-1848 दिनांक 23-01-2017 द्वारा क्रमश: सहायक अभियंता, अवर अभियंता तथा संगणक के विरूद्ध की गयी कार्यवाही के दृष्टिगत शासनादेशानुसार इनके विरूद्व वसूली की कार्यवाही किया जाना संभव नही होगा। इस प्रकार आपके उक्त कृत्य से संभावित शासकीय क्षति की वसूली उत्तरदायी अधिकारियों से किया जाना संभव नही होगा, जिसके लिये आप उत्तरदायी है।

आरोप संख्या-3

निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पंत्राक-जी-1234/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-क/व्य0प0/16-17 दिनांक 25-01-2017 एवं आपके पत्रांक-1659/ग्रा0अ0वि0/एस0टी0/प्रस्ताव अनु0कार्य0 श्री एस0के0 दीक्षित/16-17 दिनांक 15-12-2016 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण जब शासन को कार्यवाही हेतु संदर्भित किया जा चुका था तो आपके द्वारा अवर अभियंता, सहायक अभियंता तथा संगणक के विरूद्ध की गयी कार्यवाही नियम संगत नही है। इसके साथ ही उक्त अभियंताओं/कर्मचारियों के विरूद्ध आप द्वारा निर्गत निन्दा प्रविष्टि में जिस कार्यालय के पत्रांक-590 दिनांक 23-06-2016 का उल्लेख किया गया है वह पत्र वस्तुत: अधिशासी अभियंता को संबोधित योजना के संबंध में आपकी आपत्तियां थी, जो अवर अभियंता/सहायक अभियंता/संगणक को न तो प्रेषित है और न ही उनसे किसी उत्तर/ स्पष्टीकरण की अपेक्षा थी। उक्त पत्रांक का दण्डादेश में उल्लेख कर आप द्वारा कार्यवाही को संदेहास्पद बना दिया गया है, जिससे परिलक्षित हो रहा है कि आपके द्वारा की गयी कार्यवाही अनुबोध (आफटर थॉट) है। प्रकरण शासन को संदर्भित होने के पश्चात सहायक अभियंता के विरूद्व आप द्वारा कृत कार्यवाही का अधिकार आप में निहित नही है। इस प्रकार प्रकरण शासन के संदर्भित होने के उपरान्त उक्त अधिकारियों को बिना सुनवाई का अवसर दिये परिनिन्दा का दण्ड देकर अपनी अधिकारिता क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जिसके लिये आप उत्तरदायी है।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त आरोप संख्या-2 स्थापित नही पाया गया तथा आरोप संख्या-1 में अपचारी अधिकारी के स्तर से प्रकरण में संलिप्त अवर अभियंता/सहायक अभियंता के विरूद्व कार्यवाही करने के निमित्त आरोप पत्र की मांग अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फिरोजाबाद से न किये जाने के लिये तथा आरोप संख्या-3 में अपचारी अधिकारी के स्तर से अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फिरोजाबाद के विरूद्ध आरोप पत्र अपने पत्र दि0 15-12-2016 द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किये जाने के उपरान्त प्रकरण में अंतर्ग्रस्त संगणक/अवर अभियंता/सहायक अभियंता के विरूद्ध पत्र दिनांक 23-01-2017 व 28-01-2017 से निन्दा प्रविष्टि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दिये जाने की कार्यवाही अनुबोध **(आफटर थॉट)** की स्थिति पाये जाने के लिये श्री रूपेश कुमार वर्मा, अधीक्षण अभियंता उत्तरदायी पाये गये है। श्री वर्मा पर प्रमाणित आरोपो से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में प्रमाणिकता नही बनाये रखी गयी जिससे प्रकरण में उनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध परिलक्षित होती है। उक्त कृत्य के लिये श्री रूपेश कुमार वर्मा, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-आगरा सम्प्रति परिमण्डल-देवीपाटन मण्डल गोण्डा की वर्ष 2017-18 के लिये सत्यनिष्ठा संदिग्ध की जाती है।

4- श्री रूपेश कुमार वर्मा पर अधिरोपित आरोप संख्या-1 व 3 पूर्णरूप से सिद्ध पाये गये है। अत: उनके विरूद्ध कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26-07-2017 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को निम्नवत परिनिन्दा का दण्ड देते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

''अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-आगरा के रूप में कार्यरत रहने के दौरान अनियमित ढंग से प्राक्कलन/दर स्वीकृत करने हेतु अधिशासी अभियंता को उत्तरदायी बताते हुये प्रश्नगत प्राक्कलन/दर गठन करने हेतु अवर अभियंता/सहायक अभियंता को उत्तरदायी न बताया जाना के दृष्टिगत अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने प्रकरण शासन को संदर्भित होने के पश्चात सहायक अभियंता के विरूद्व कार्यवाही कर अपने अधिकारों का अतिक्रमण किये जाने हेतु परिनिन्दित किया जाता है।''

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-147/2018/1840(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री रूपेश कुमार वर्मा, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-आगरा सम्प्रति परिमण्डल-देवीपाटन मण्डल गोण्डा द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1 को उनकी चरित्र पंजिका में वर्ष 2017-18 के साथ रखे जाने हेतु।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in